तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दिनेश कुमार बनाम लोक सूचना अधि0 (जिला रसद अधिकारी धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 34/2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023/101)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22.12.2023	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः प्रथम अपील/आरटीआई./2023/429 दिनांक 18.12.2029 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र कमांक संपर्क/सू.अ./2023/395 दिनांक 30.10.2023 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी धौलपुर को स्थानान्तरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं जनसंपर्क अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्रांक 474–76 दिनांक 31.10.2023 से प्रभारी अधिकारी विधि/न्याय शाखा कलक्ट्रेट धौलपुर से सबंधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन आरटीआई एक्त 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया। प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्रांक न्याया/आरटीआई/2023/8708–09 दिनांक 20.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री दीपू वर्मा को उपलब्ध करवा दी गई है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलक्ट्रेट धौलपुर के पत्रांक न्याया/आरटीआई/2023/8708–09 दिनांक 20.12.2023 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर	